न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/खरगौन/भू.रा./2018/0537 विरूद्ध आदेश दिनांक 02.01.2018 पारित द्वारा आयक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 451/अपील/2015-16.

ओमप्रकाश पिता तेजकरण,
निवासी नागेश्वर रोड, बडवाह, तहसील बडवाह,
जिला खरगौन, म.प्र.
.....आवेदक

विरूद्ध

1. सुभाष पिता मोतीलाल गुप्ता
   निवासी नागेश्वर रोड, बडवाह,
   तहसील बडवाह, जिला खरगौन, म.प्र.
2. हेमंत पिता मोतीलाल गुप्ता,
   निवासी नागेश्वर रोड, बडवाह,
   तहसील बडवाह, जिला खरगौन, म.प्र.
.....अनावेदकगण

श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री एच.एन. फडके, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/5/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 02.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण की माता दुर्गाबाई पति मोतीलाल महाजन, निवासी बडवाह द्वारा तहसीलदार, तहसील बड़वाह के समक्ष संहिता की धारा 178 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की माता दुर्गाबाई पति

मोतीलाल तथा आवेदक के संयुक्त नाम से ग्राम बरझर, तहसील बड़वाह के सर्वे नंबर 294, 301, 302 कुल सर्वे नंबर-3 कुल रकबा 18.727 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में अंकित है। अत: उपरोक्त प्रश्नाधीन कृषि भूमि का बंटवारा किया, पृथक-पृथक स्वतंत्र खाता अंकित किया जाये। इस आवेदन पत्र के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 34/अ-27/2010-11 दर्ज कर दिनांक 17.09.2014 को आदेश पारित करते हुए उभय पक्ष के मध्य सम्पत्ति विवाद होने से जब तक उक्त स्वत्व संबंधी प्रकरण का निराकरण सिविल न्यायालय से नहीं होता है, तब तक के लिए प्रस्तुत बंटवारा आवेदन पत्र निरस्त किया गया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, बड़वाह के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.04.2016 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 02.01.2018 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। अनावेदकगण द्वारा केवल मात्र तथ्यों के आधार पर वर्तमान अपील प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि प्रश्नाधीन भूमियां ट्रस्ट की भूमियां नहीं हैं तथा अपर आयुक्त को भ्रमित करते हुए यहां तक कहा है कि प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट की न होने के बाबद दिवानी न्यायालय द्वारा निर्णय दिया है, जिसे उच्च न्यायालय अपने आदेश दिनांक 20.10.2000 के माध्यम से उचित ठहराया है। इस प्रकार तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत अपील को अपर आयुक्त द्वारा रिकॉर्ड का सूक्ष्म अवलोकन किये बिना स्वीकार किये जाने में विधि की गंभीर त्रुटि की है।

(2) सर्वप्रथम तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण परिस्थितियों का उचित अवलोकन करते हुए प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होना मानते हुए बंटवारा आवेदन निरस्त किया तत्पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23.04.2016 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने पारित आदेश के पैराग्राफ क्र. 7 में निष्कर्ष दिये हैं तथा मूल भूमिस्वामी के द्वारा निष्पादित

वसीयतनामे 06.06.1980 का जिक्र किया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट को दिये जाने का उल्लेख है एवं प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में पंजीकृत ट्रस्ट डीड दिनांक 05.06.1962 निष्पादित किये जाने का उल्लेख किया है। इस प्रकार से एक पंजीकृत ट्रस्ट डीड के माध्यम से ट्रस्ट का गठन करते हुए प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट की होना घोषित की गई। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रश्नाधीन भूमि को ट्रस्ट की भूमि माना गया है। ट्रस्ट के अस्तित्व में होने तथा प्रश्नाधीन भूमि ट्रस्ट की होने का समर्थन स्वयं अनावेदकगण की पूर्वाधिकारी माता श्रीमती दुर्गाबाई के वसीयतनामे दिनांक 31.10.2006 से भी होता है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा उचित रूप से अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत बंटवारे आवेदन को निरस्त किया गया तत्पश्चात् प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अनावेदकगण की प्रथम अपील निरस्त की गई। इस प्रकार दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने के बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करने में विधि की गंभीर त्रुटि की है।

(3) इसी स्थल पर माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर द्वारा प्रथम अपील प्रकरण क्र. 47/2001 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 21.04.2010 को पारित आदेश का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जिसके संबंध में अनावेदक द्वारा भ्रम की स्थिति निर्मित किये जानेका असफल प्रयास किया है। इस निर्णय के पेज क्र. 2 पर निम्नानुसार निष्कर्ष उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये हैं:-

Consequently, I deem it appropriate to dispose of the present appeal, with a liberty to the Plaintiff-appellant No. 1 Motilal, either individually or alongwith such other persons, who may be interested under section 92 of the CPC or any other law, to institute fresh proceedings against such persons, against whom they may have any cause of action with regard to the **said trust**.

It is also clarified that, if and when any such fresh proceedings are initiated by them, then the **Judgment and decree dated October 20, 2000 shall not be treated to be binding upon the aforesaid parties.**

इस प्रकार अनावेदकगण का यह कथन कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश जिसके माध्यम से ट्रस्ट के अस्तित्व को नहीं माना गया, को उचित ठहराया पूर्णतया असत्य, झूठा एवं अवमाननाकारी है एवं निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। न्यायालय के समक्ष सही स्थिति बताना तथा उच्च न्यायालय के आदेश का सही निर्वचन करना अनावेदकगण का दायित्व था; किंतु

अनावेदकगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय के समक्ष नहीं आया था, किंतु इन सभी परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए अपर आयुक्त द्वारा विधिविपरीत आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त होने के पात्र है।

(4) इस उक्त विषयांतर्गत उच्च न्यायालय के आदेश में अनावेदक क्र. 1 मोतीलाल वर्तमान प्रकरण में अनावेदक के पिता है तथा अपने माता पिता के द्वारा पूर्व मुकदमे में दी गई स्वीकृति से वर्तमान अनावेदक भी विबंधित है तथा स्वयं अनावेदकगण के पूर्वाधिकारी दुर्गाबाई एवं मोतीलाल प्रश्नाधीन भूमि को पंजीकृत ट्रस्ट की सम्पत्ति होना मानते रहे हैं तथा उच्च न्यायालय से भी ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की प्रश्नाधीन सम्पत्ति के संबंध में नवीन दावा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ प्रकरण का निराकरण करवाया था, जो अंतिम होकर इस प्रकरण के अनावेदकगण पर बाध्यकारी है। उच्च न्यायालय के इस आदेश के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के प्रभाव को भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि नवीन दावा लगाने की अनुमति दी गई। इस प्रकार अनावेदक पूर्ण रूप से झूठ कथन करके पंजीकृत ट्रस्ट की सम्पत्ति को हड़प कर जाने के लिए अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रकरण प्रस्तुत किया है, जिसे अपर आयुक्त स्वीकृत विधि की स्थिति को अकारण दरकिनार करते हुए स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा विधि की गंभीर भूल की है।

(5) अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के सामने अपने अपील मेमो में अथवा बहस के दौरान यह भी प्रकट नहीं किया कि पंजीकृत ट्रस्ट का समापन रजिस्ट्रार लोक न्यास के माध्यम से करवा लिया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र राजस्व अभिलेखों में व्यक्तिगत हैसियत में नाम दर्ज होने के बावजूद भी बंटवारा करवाने का कोई अधिकार इस प्रकरण के अनावेदकगण के हित में सृजित नहीं होते हैं तथा खसरा पांच साला में हुए इन्द्राज तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत हुए दस्तावेजों, वसीयतनामे, पंजीकृत ट्रस्ट डीड उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के माध्यम से खण्डनीय हैं।

(6) सिविल न्यायालय को स्वत्व निर्धारण करने की अधिकारिता के संबंध में 1992 आर.एन. 341 उच्च न्यायालय, पेतराम विरूद्ध राजस्व मण्डल, 1986 आर.एन. 158, 1968 जे.एल.जे. 304, 1976 आर.एन. 261 नागजीराम विरूद्ध मांगीलाल के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(7) इसी प्रकार यह आक्षेप कि खाते का पहले ही विभाजन हो चुका है और सह अंशधारी अपने-अपने अंश पर पृथक-पृथक कब्जा रखते हैं, हक्क संबंध प्रश्न उत्पन्न करता है। इस संबंध में

सुबराती खां विरूद्ध नत्थू खां 1992 आर.एन. 21 उच्च न्यायालय, रघुनाथ विरूद्ध दिलिप 1970 आर.एन. 596, मंजूलाबाई विरूद्ध इंदिराबाई 1965 आर.एन. 218 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

(8) स्वत्व का प्रश्न राजस्व न्यायालय द्वारा निराकृत नहीं किये जा सकते हैं- स्वत्व निर्धारण का आदेश अवैध एवं अधिकारिता रहित माना गया है। इस संबंध में 2005 आर.एन. 205 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(9) अपर आयुक्त द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाते हुए तहसीलदार को प्रकरण का पुन: विचारण करने के लिए प्रत्यावर्तन आदेश (रिमांड) पारित किया है, जो धारा 49(3) व उसके साथ संलग्न परंतुक के विपरीत है।

(10) अपर आयुक्त के समक्ष अनावेदकगण द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कोई भी आवेदन नहीं किया गया तथा धारा 49 की उपधारा 3 के साथ संलग्न प्रथम परंतुक के अनुसार किसी भी परिस्थिति में प्रकरण रिमांड नहीं किया जावेगा, प्रावधानित किया है, किंतु इस आज्ञापक प्रावधान की अवहेलना अपर आयुक्त द्वारा की गई। इस कारण से उक्त एकमात्र विधिक बिंदु के आधार पर ही अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(11) संहिता की धारा 117 भू-अभिलेखों में किये गये इन्द्राज के सत्य होने की उपधारणा करता है, जब तक अन्यथा साबितन कर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष वादग्रस्त संपत्ति ट्रस्ट से संबंधित होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित था, इस संबंध में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य रिकार्ड पर थी, केवल मात्र ट्रस्ट का नाम अथवा उल्लेख राजस्व अभिलेखों में न होने के कारण वादग्रस्त संपत्ति को ट्रस्ट की न होना मानकर बंटवारे के प्रकरण के विचारण के निर्देश देने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत करने का अनुरोध करते हुए मौखिक तर्क में मुख्य रूप से कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में आवेदक तथा अनावेदकगण का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है तथा प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेख में किसी ट्रस्ट के नाम अभिलिखित नहीं है। तहसीलदार का यह कर्तव्य था कि प्रकरण में संहिता की धारा 178(1) के परंतुक अनुसार स्वत्व के प्रश्न का निराकरण सिविल न्यायालय से कराये जाने हेतु तीन मास के लिए प्रकरण स्थगित रखते। यदि सिविल न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त होता तो तहसीलदार प्रकरण को सिविल न्यायालय के प्रकरण के निराकरण तक स्थगित रख सकते थे, किंतु प्रकरण में किसी भी पक्ष द्वारा सिविल न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि किसी भी पक्ष द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष नियत समयावधि तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो तहसीलदार प्रकरण में संहिता की धारा 178 के अंतर्गत विधि अनुसार आदेश पारित करते, किंतु तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की गई है। तहसीलदार को ट्रस्ट-डीड अथवा ट्रस्ट की संपत्ति के संबंध में विचाराधिकार प्राप्त नहीं है। अतः तहसीलदार द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को निरस्त करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर